अनुलग्नक-1

प्रत्याशित सहयोगी प्रदायकर्त्ता द्वारा [भरे जाने के लिए] प्रोफॉर्मा विस्तृत विवरण :-

1.मदों के नाम (जूट बैग) जिसके लिए इम्पैनेन्मेंट का अनुरोध किया जाता है				
2. वार्षिक मनुफैक्चरिंग व सप्लाइंग क्षमता				
3. प्रदाय किया गया परिमाण [दस्तावेज साक्ष्य संलग्न किया जाना है]	भारत में [घरेलू]		भारत के बाहर [निर्यात]	
	प्रदाय किया गया परिमाण [मै. ट में]	मूल्य [रू करोड़ में]	प्रदाय किया गया परिमाण [मै. ट में]	मूल्य [रू करोड़ में]
वर्ष **2009-2010**				
वर्ष **2010-2011**				
वर्ष **2011-2012**				
4.[a] निर्माता व प्रदायकर्त्ता का नाम एवं पता स्थापना वर्ष				
[b] सम्पर्क व्यक्ति[व्यक्तियों] कें नाम				
[c] टेलिफोन नं0 [नम्बरें]				
[d] फैक्स नं0 [नम्बरें]				
[e] ई मेल आई .डी [नम्बरें]				
5 प्रमाणित कागजात संलग्न करें जैसे **:--** **(i)** प्रदायकर्त्ता के प्रमाणित कागजात जैसे कम्पनी विवरणिका,पिछले तीन साल का लेखा परीक्षा किया हुआ तुलन - पत्र, आई एस ओ अथवा अन्य स्त्यापित प्रमाण - पत्र (यदि कोई हो)पार्टनर शिप डीड के साथ निगमित प्रमाण;पत्र, पंजीकरण प्रमाण-पत्रअथवा एसोसिएशन के नियम के ज्ञापन की प्रति, पिछले तीन साल के लिए आयकर रिटर्न विभिन्नकर प्राध्किारियो अथ्वा सरकारी विभागों, मनुफैक्चरिंग लाइसेंस, इत्यादी के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र	संलग्नित		नहीं संलग्नित	
(ii) बैंक संदर्भ प्रमाण - पत्र	संलग्नित		नहीं संलग्नित	
(iii) केडिटरेटिंग एजेन्सी रिर्पोट (यदि कोई हो)	संलग्नित		नहीं संलग्नित	
(iv) (बी) उक्त क्र. सं के पक्ष में क्रयादेश/ निष्पादन प्रमाण - पत्र की प्रतियाँ	संलग्नित		नहीं संलग्नित	
(v) ई ओ आई में निर्दिष्ट सभी शर्त व दशाओ की स्वीकृति	हाँ		नहीं	
(6) क्या कम्पनी जूट बैगों की सप्लाई के लिए किसी टेण्डर में भाग लेने के लिए किसी सरकारी उपक्रमों के द्वारा काली सूची में शामिल/ प्रतिबंधित है।	हाँ		नहीं	
(7) क्या आवेदन की तिथि पर काली सूची में शामिल / प्रतिबंधित है।	हाँ		नहीं	
(8) ग्राहक का विवरण जिन्हे परिमाण व मूल्य दोनों शर्त में पिछले तीन वर्षों में प्रदाय पूरा किया गया हैं।				
(9) अन्य दूसरे कागजात जैसे ई ओ आई में माँगा गया है				

*कृपया अतिरिक्त कागज प्रयोग करें यदि अधिक स्थान की आवश्क्ता हो,

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना सही है और हम पुष्टि करते है कि एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट में दी गई सभी सूचनाऍं सही है और किसी समय बिन्दु पर सूचना गलत पायी गई तो हमारी ई ओ आई एस टी सी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

दिनांक : हस्ताक्षर

स्थान : नाम एवं पदनाम

कम्पनी मुहर

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0

[भारत सरकार का उद्यम]

नीलहट हाउस 9 वीं व 10 वीं मंजिल,11 आर. एन. मुखर्जी रोड,कोलकाता-700001

राज्य एवं सरकारी एजेन्सियो/क्रय संगठनों में बिक्रि वितरण हेतु एस टी सी को सप्लाई करने के लिए जुट बैगों (डी डब्ल्यू टी/एस बी टी/ए-टी बिल/बी टी बिल/इत्यादी) के सप्लायरों से की नियुक्ति हेतु एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट (ई ओ आई) आमन्त्रण नोटिस

हमारे बारे में

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (एस टी सी) कम्पनी एक्ट 1956 में शामिल किया गया इसका पंजीकृत कार्यालय जवाहर व्यापार भवन,टॉलस्टॉय मार्ग,नई दिल्ली–110001 और शाखा कायार्लय नीलहट हाउस 9 वीं व 10 वीं मंजिल,11 आर. एन. मुखर्जी रोड,कोलकाता-700001 भारत सरकार का उद्यम, वाणिज्य मन्त्रालय के प्रशासन के अधीन, वाणिज्य विभाग [भारत सरकार] में हैं। एस टी सी भारत का एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जिसका 50 वर्षो से अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार के सम्बन्ध में अनुभव है। और विभिन्न प्रकार के उत्पादो व पण्यों के आयात एंव निर्यात का कार्य संभाल रहा है।

एस टी सी के पास भारत के प्रमुख पोर्ट शहरो को लेकर राष्ट्रव्यापी कार्यालय है जिसके अन्तर्गत ग्राहको को शीध्र व गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए चारों ओर दक्ष व अनुभवी जनशक्ति का प्रतिस्थापन किया गया हे। वर्ष 2011-2012 के दौरान एस टी सी का 30,444 करोड़ की व्यापार की मात्रा रही।

अपने उपभोग/घरेलू बाजार के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारी विभागो/केन्द्र व राज्य सरकारी के उपक्रमों में विभिन्न प्रकार के जूट बैगों (डी डब्ल्यू टी/एस बी टी/ए-टी बिल/बी टी बिल/इत्यादी) कीं सप्लाई कें लिए एस टी सी एतद्वारा निम्न विवरण के अनुसार प्रत्याशित जूट बैग निर्माताओं से एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट आमन्त्रित करता है।

1. मदों का विवरण जिसके लिए ई ओ आई आमन्त्रित किया जाता है -

विभिन्न प्रकार के जूट बैगों (डी डब्ल्यू टी/एस बी टी/ए-टी बिल/बी टी बिल/इत्यादि) कीं सप्लाई

2. कार्य का प्रकार

(i) जूट बैग निर्माता उक्त केन्द्रीय/राज्य सरकार विभाग / केन्द्र व राज्य सरकारी के उपक्रमो / क्रय संगठन की सभी शर्ते व दशाओं को स्वीकार करेंगें और आदेश की स्थिति में बैंक टु बैंक आधार पर अपेक्षित नामित दूरी के छोर तक ग्राहको को उत्पाद व पण्य वितरण करेगें। सम्बन्धित केन्द्र /राज्य सरकार विभाग/केन्द्र व राज्य सरकारी उपक्रमों/ क्रय संगठन में आगे बिक्रि के लिए क्रय प्राधिकारी के द्वारा चाहे गए विनिर्दिष्टताओं के अनुसार सामान पैक किए जाएंगे। जूट बैग निर्माता ब्याज रहित ई एम डी/बिड बॉन्ड/कैश मार्जिन/निष्पादन बैंक गारंटी (पी बी जी) निष्पादन बॉन्ड कुल आदेश मूल्य के 10-20% वृद्धि पर अथवा क्रय संगठन की शर्त के अनुसार जैसा एस टी सी को अपेक्षित है, प्रस्तुत करेंगे।

(ii) प्रदायक (सप्लायर) द्वारा एसटीसी को दिया गया दर के आधार पर एसटीसी का ट्रेडिंग मार्जिन जोड़ने के बाद ग्राहको/क्रय संगठनों का दर कोट करेगें। ट्रेडिंग मार्जिन की राशि एसटीसी की अपनी सूझबूझ पर निर्धारित किया जाएगा और इस पर प्रदायक (सप्लायर) द्वारा प्रतिस्पर्धा नहीं किया जाएगा। एसटीसी द्वारा प्राप्त आधार भूत शर्त का आदेश ग्राहक से आवश्यक परिवर्तन सहित बैक टू बैक कन्ट्राक्ट में प्रयुक्त एसटीसी व जूट बैग निर्माता के बीच अन्तिम रूप में दिया जाना है। प्रदायक (सप्लायर) को भुगतान केवल सामग्री की आपूर्ति पर और सम्बन्धित राज्य सरकार/ केन्द्र व राज्य सरकारी उपक्रमों/क्रय संगठन से एसटीसी द्वारा भुगतान की प्राप्ति पर किया जाना है।

(iii) प्रत्याशित जूट बैग निर्माता द्वारा यह स्पष्ट रूप से विचार व सहमत किया गया है कि एस टी सी अपने ग्राहकों के वास्ते उनके विनिर्दिष्ट मॉग पर क्रय करेंगें। यदि ग्राहकों द्वारा विनिर्दिष्टताओं में कोई व्यतिक्रम हो, विलम्ब वितरण अथवा माल उतारने की दिशा बिन्दु पर माल कम उठाए जाने के कारण एस टी सी के बिल से कटौती की गई हो तो राशि जूट बैग निर्माताओं द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. प्रत्याशित **जूट बैग निर्माताओं** की नियुक्ति के लिए पूर्व योग्यता

(i) जूट बैग निर्माता को उक्त मदों जैसे जूट बैगो की मिलिंग/सप्लाई के न्यूनतम 5(पॉच)साल का अनुभव होना चाहिए और इसके लिए कागजात के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

(ii) जूट बैग निर्माता के पास वैध पैन नं0,टिन नं0,सी एस टी नं0,वैध ट्रेड लाईसेंस,सक्षम अधिकारी द्वारा मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस अथवा जूट उद्योग के निदेशालय जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र का विवरण होना चाहिए।

(iii) जूट बैग निर्माताओ को आयकर रिटर्नड् फाइल्ड व लेखा परीक्षाकृत पी एण्ड एल एकाउन्ट व चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित पिछले तीन साल के लिए कम्पनी का बैलेन्स शीट (तुलन - पत्र) जमा करना होगा और पिछले साल के लिए उनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक होना चाहिए।

(iv) जूट बैग निर्माता को सप्लाई देने का वचन देने के लिए कम से कम 1 करोड़ की राशि बैंक से आर्थिक सक्षमता का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(v) जूट बैग निर्माता का अपना निजी निमार्ण यूनिट होना चाहिए। और वे मद के लिए प्रतिमाह व वार्षिक आधार पर प्लांट उत्पादन क्षमता स्पष्ट से उल्लेख करेंगे जिसके लिए ई ओ आई प्रस्तुत किया जा रहा है, जूट बैग निर्माता घोषित

किया गया उत्पादन पर वास्तविक रूप से पिछले दो वर्ष की अपनी जनशक्ति इत्यादि के साथ उत्पादन सूचना प्रस्तुत करेंगे।

(vi) स्टॉक हुए मदों के सुलभ व बिना रूकावट दैनिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जूट बैग निर्माता के पास मदों के स्टाक के अनुरक्षण के लिए वेअरहाउस सुविधाएं होनी चाहिए । जूट बैग निर्माताओ को बी आई एस (जहॉं बी आई एस प्रमाण पत्र अपेक्षित हो) द्वारा जारी स्टैन्डर्ड मार्क के प्रयोग के लिए लाइसेंस जमा करना चाहिए।

(vii) जूट बैग निर्माताओ को एसटीसी के साथ एम्पैनेल्मेंट के समय अद्यतन डी एण्ड बी/अन्य कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसिस रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

(viii) सप्लायर से यदि आवश्यक समझा जाए तो दस्तावेज की जाँच के लिए अतिरिक्त सूचना/पुष्टिकरण की माँग की जा सकती है। क्रय संगठन से सी फॉर्म/अन्य कोई फॉर्म यदि ग्राहय हो तो उसे संग्रहित करने का उत्तरदायित्व/ देयता जूट बैग निर्माताओ को वहन करना होगा और एसटीसी जूट बैग निर्माताओं से अपेक्षित "ई-1'' /अन्य कोई अपेक्षित फॉर्म की बिल प्राप्ति होने तक सी फॉर्म के मूल्य का भुगतान रोके रहेगा।

(ix) उक्त शर्त एवं दशा पर सप्लायर द्वारा पूर्णरूप से विचार किया जाएगा और अपूर्ण दस्तावेज व उक्त शर्त के अनुपालन न होने वाला ई ओ आई सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(x) नियुक्त जूट बैग निर्माता उक्त किसी अथवा सभी कार्यो के सम्बन्ध में सभीं सरकारी विनियमों/औपचारिकाताओं/योजनाओं/मुख्य बातों/आदेशों इत्यादि के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगें।

(xi) जूट बैग निर्माता कम्पनी के मालिक/संस्थापक द्वारा जारी स्व प्रमाण- पत्र/घोषणा यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करेंगें कि वे आज तक कम्पनी/अथवा सिस्टर कन्सर्न अथवा अन्य यूनिट/पार्टनरशिप फॉर्म व्यापार करने के लिए केन्द्र/ राज्य सरकारी विभाग/केन्द्र अथवा राज्य सरकारी उपक्रमों /एस टी सी के द्वारा प्रतिबन्धित/काली सूची बद्ध नहीं है। सप्लायर को ई ओ आई के अधीन पूर्व योग्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने तथा साथ ही साथ परवर्ती टेण्डर में भाग लेते समय इस सम्बन्ध में एक घोषणा देनी होगी । असत्य घोषणा (किसी भी स्थिति में पाई जाने पर) सप्लायर उसी समय अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(xii) पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण उक्त कसौटी के अनुसार परीक्षण किया जाएगा उक्त शर्त एवं दशा पर पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा और उक्त शर्तो के अनुपालन में कागजात के बिना प्राप्त आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(xiii) इस ई ओ आई के अन्तगर्त सप्लायर समय समय पर(केन्द्र व राज्य सरकारी विभाग अथवा राज्य सरकारी उपक्रम के)जूट बैगो की खरीद के सांविधिक आवश्यकताओं को मानने के लिए वचन देगा।

(xiv) एसटीसी के पास किसी भी समय कोई कारण बताए किसी/सभी आवेदनों को स्वीकृत व अस्वीकृत करने तथा ई ओ आई प्रक्रिया रदद् करने का अधिकार सुरक्षित है।

4. एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट प्रस्तुत करना

(i) प्रत्याशित जूट बैग निर्माता/सप्लायर हमारे वेबसाइट **www.stc.gov.in** अथवा **www.tender.gov.in** से एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट डाउनलोड कर सकते है और उक्त की प्रति श्री एस बनिक, संयुक्त महा प्रबन्धक दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 नीलहट हाउस **9** वीं मंजिल,**11** आर**.** एन**.** मुखर्जी रोड,कोलकाता**-700001** से कार्यालय समय अथवा एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट खोलने के एक दिन पहले तक किसी भी कार्यदिवस के दौरान भी प्राप्त कर सकते है, और डाउनलोड किया हुआ मूल फार्म कागजात के साथ सभी शर्त व दशा मानने के प्रतीक के रूप में प्रत्येक पेज हस्ताक्षर व मुहर सहित प्रस्तुत करेंगें, फैक्स/ई मेल से अथवा एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट की प्रति के रूप प्राप्त एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट में एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट करने वाले व्यक्ति का नाम पदनाम व व्यवसाय का स्थान फोन व फैक्स नं0 के साथ अवश्य होना चाहिए और प्रत्याशित सप्लायर का अपना रोजमर्रा के हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित व मुहरांकित होना चाहिए।

(iii) सभापति,सचिव अथवा कोई व्यक्ति अथवा इस मामले में कॉर्पोरेशन/कम्पनी को जोड़ने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कॉर्पोरेशन/कम्पनी के द्वारा कॉर्पोरेशन/कम्पनी के वैधानिक नाम से अवश्य एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट हस्ताक्षर करें।

(iv) सप्लायर को सम्बन्धित कागजात जैसे कम्पनी विवरणिका, पिछले तीन वर्ष का बैलेन्स शीट (तुलन - पत्र) इन्स्टॉल्ड क्षमता व संक्षेप निर्माण-प्रक्रिया (जहाँ ग्राहय हो) आई एस ओ अथवा अन्य सत्यापित प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) विभिन्न कर प्राधिकारियो अथवा सरकारी विभागो के पंजीयन प्रमाण-पत्र इत्यादि प्रस्तुत करें।

(v) प्रत्येक पेज में क्रमबद्ध रूप से नम्बर देना होगा और हस्ताक्षर करना होगा।

(vi) प्रत्येक मद के लिए जैसा ई ओ आई में निर्धारित किया गया हो, कागजात के अलग सेट अलग कवर में प्रस्तुत किए जाने है।

5. एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट जमा करने की अन्तिम तिथि 06/05/2013 दोपहर बाद 3.00 बजे है।

6. एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट प्रस्तुत करने का स्थान

एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट शाखा प्रबन्धक दि एस टी सी ऑफ इण्डिया लि0,नीलहट हाउस 9 वीं व 10 वीं मंजिल, 11 आर. एन. मुखर्जी रोड,कोलकाता-700001 में संलग्न अनुलग्नक -1 व अपेक्षित संलग्नकों के साथ भरा हुआ नियत तिथि व समय के पूर्व एस टी सी कोलकाता के स्वागत कक्ष में रखे हुए बॉक्स में डालना होगा। इस कावर में ई ओ आई नं0 व दिनांक,मद विवरण व ई ओ आई खोलने का दिनांक अंकित होना चाहिए।

महत्वपूर्ण सूचना - प्रत्येक मद के लिए कागजात का अलग सेट जैसा ई ओ आई निर्धारित है, अलग कॉवर में प्रस्तुत करना है।

7. सामान्य शर्त एवं दशा

(i) एस टी सी के पास किसी भी कारण बताए,जो भी हो, एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट के किसी भी ऑफर को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

(ii) प्राप्त ई ओ आई से उक्त प्रत्येक मद के लिए जूट बैग निर्माताओं की अन्तिम नियुक्ति एसटीसी के सूझबूझ पर किया जाएगा और एसटीसी का निर्णय सभी प्रतिभागी पार्टियों पर बाध्य कर होगा।

(iii) सप्लायर स्पष्ट रूप से ध्यान दें कि इस ई ओ आई में परिगणक शर्त व दशाएं केवल व्याख्यात्मक है सर्वसमावेशी नहीं है। नियुक्त किए गए जूट बैग निर्माता को एस टी सी का पूरा स्वार्थ और प्रत्याशित ग्राहकों के स्वार्थ पूरी रक्षा के लिए एस टी सी द्वारा चाहे गए कन्ट्राक्ट्रास में आना होगा।

(iv) प्रत्याशित मिल जूट बैग निर्माता से आवश्यक समझे जाने पर प्रस्तुत किए गए कागजात की जाँच के लिए अतिरिक्त सूचना /पुष्टिकरण की मांग भी की जा सकती है।

(v) इस कागजात के सभी विवरण,शर्त व दशा का प्रत्याशित जूट बैग निर्माता द्वारा पूर्णरूप से विचार किया जाना पड़ेगा और अपूर्ण कागजात युक्त व उक्त शर्त व दशा का अनुपालन न होने वाला एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

8. एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट की विलम्ब प्राप्ति

कोई भी ई ओ आई नियत तिथि व समय से विलम्ब से प्राप्त होना अप्राप्त माना जाएगा।

9. ई ओ आई कागजात एंव उसमें दी गई सूचना (सभी एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट कागजात) की मालकियत (ओनरशीप) जमा होने पर एस टी सी की सम्पत्ति हो जाएगी, जहाँ प्रत्याशित सप्लायर यह विश्वास करता है कि इस ई ओ आई में दी गई सूचना 'गोपनीय' है अथवा रखा जाना चाहिए अथवा एस सूचना को बताना अकारण ही सप्लायर के व्यवसायिक कार्य को प्रभावित करेगा, सूचना अथवा कागजात वितरण के समय यह स्पष्ट रूप से निशान बनाकर कि ऐसी सूचना 'गोपनीय' है ऐसा सूचित किया जाना है। जहाँ तक ऐसा होता चला आया है कि एस टी सी इस सम्बन्ध में प्रत्याशित सप्लायर को अपनी इच्छा जाहिर करेगा और ऐसी सूचना की पहुँच का अनुरोध आर. टी. आई एक्ट के अधीन निर्णय किया जाएगा।

10. कोई संविदात्मक बाध्यता नहीं

एस टी सी इस एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट के लिए किसी प्रत्याशित सप्लायर के प्रति संविदात्मक अथवा किसी अन्य प्रकार से बाध्य नहीं है। एसटीसी इस एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट अथवा किसी एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट के विचार करने के सम्बन्ध में प्रत्याशित सप्लायर द्वारा प्राप्त किया गया अथवा नहीं किसी भी क्षतिपूर्ति का लागत देने के लिए बाध्या नहीं है। एसटीसी एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट प्रक्रिया समाप्त बदल अथवा निलम्बन करता है अथवा इस एक्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट के अधीन अनुमोदित भविष्य विकास में प्रस्तावित संकल्पना के विचार सहित कोई अन्य कार्यवाही करता है।

11. सहयोगी निर्माता की शार्ट लिस्टिंग

प्रत्याशित सप्लायर जो एसटीसी के सहयोगीं मिलमालिक/सप्लायरों की योग्यता प्राप्त करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से अधिसूचित होंगे, प्राप्त एसोशिएटशिप की वैधता प्रारम्भिक रूप से एसटीसी द्वारा स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जो एसटीसी की सूझबूझ पर पार्टी के निष्पादन के आधार पर नवीनीकरण किया जा सकता है।

12. अदावेदार

इस कागजात का इश्यू ई ओ आई प्रक्रिया के सभी अथवा किसी भाग पर कार्यवाही करने के लिए किसी प्रकार से बचनबद्ध अथवा अन्यथा रूप से बाध्य नहीं करता है। ई ओ आई अनुरोध एसटीसी व प्रत्याशित सप्लायर के मध्य कोई कन्ट्राक्ट प्रक्रिया अथवा संविदात्मक बाध्यता का विषय नहीं है। एसटीसी अपनी पूर्ण सूझबूझ से प्रत्याशित सप्लायर को बिना पूर्व सूचना दिए प्रक्रिया के किसी अथवा पूरे भाग को छोड़ने के लिए चुन सकता है।

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0
11, आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता- 700 001
फोन : (033) 2248 2228 : फैक्स (033) 22480777/8165

(ई ओ आई) एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट आमन्त्रण नोटिस

विभिन्न राज्य व सरकारी एजेंसियों/क्रय संगठनों में बिक्रि/वितरण के लिए एसटीसी को विभिन्न जूट बैग (डी डब्ल्यू टी/एस बी टी/ए-टी बिल/बी-टी बिल इत्यादि) की सप्लाई देने के लिए जूट बैग निर्माताओं/सप्लायरों की नियुक्ति के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट आमन्त्रण नोटिस आगे विवरण के लिए हमारे बेबसाइट **www.stc.gov.in** में लॉग ऑन करें ।

एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट जमा करने की अन्तिम तिथि 06/05/2013 को **3.00** बजे है ।

संयुक्त महा प्रबन्धक